अति महत्वपूर्ण / समयबद्ध

प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून

सेवामें,

1. निदेशक,
अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक,
महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर निदेशक,
एस0सी0ई0आर0टी0,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. अपर निदेशक, (प्रा0शि0 / मा0शि0)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल /
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सचिव,
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद,
रामनगर, नैनीताल।
7. समस्त, मुख्य शिक्षा अधिकारी,
उत्तराखण्ड।
8. समस्त, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं
प्रशिक्षण संस्थान, उत्तराखण्ड।
9. समस्त, जिला शिक्षा अधिकारी,
(प्रा0शि0 / मा0शि0)
उत्तराखण्ड।
10. समस्त, खण्ड शिक्षा अधिकारी /
उप शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

पत्रांक : सेवायें–3(2) / 107 / 1462-65 / वार्षि0 स्था0 / 2025–26 दिनांक : 07 मई, 2025

विषयः– **वार्षिक स्थानान्तरण सत्र 2025–26 हेतु मिनिस्ट्रीयल संवर्ग में (प्रधान सहायक, प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी) में कार्यरत कार्मिकों के अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु विकल्प–पत्र एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2025–26 के लिए अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु कार्मिकों के विकल्प पत्र एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु इच्छुक कार्मिकों से आवेदन पत्र निम्नानुसार आमंत्रित किये जाते हैं:–

1- अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता सूची तथा रिक्ति की सूची विभागीय वेबसाइट **www.schooleducation.uk.gov.in** पर अपलोड कर ली गयी है, जिन कार्मिकों के नाम अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्रता सूची में है, वे अपना विकल्प पत्र संबंधित संस्थाध्यक्ष, खण्ड शिक्षा अधिकारी / उप शिक्षा अधिकारी से अग्रसारित करवाकर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) को **दिनांक 15–05–2025 को सांय 5.00 बजे** तक उपलब्ध करायेंगे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) अपने जनपद के समस्त विकल्प पत्र **दिनांक 20–05–2025 को सांय 05.00 बजे तक प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय** को उपलब्ध करायेंगे। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त होने वाले विकल्प पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा एवं उपलब्ध रिक्त पदों के सापेक्ष नियमानुसार स्थानान्तरण कर दिया जायेगा। जो कार्मिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 की धारा 7(घ) तथा शासनादेश संख्या 1 / 289938, दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार गम्भीर रोग ग्रस्त / दिव्यांग कार्मिक / पुत्र–पुत्री दिव्यांग / सैनिक तथा अर्द्धसैनिक बलों में तैनात कार्मिकों की पति / पत्नी / एकल अभिभावक (विधवा–विधुर) / शहीदों / बलिदानियों की विधवाओं का अनिवार्य स्थानान्तरण में छूट चाहते हैं वे स्थानान्तरण अधिनियम में उल्लिखित सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र संस्थाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष से प्रमाणित करवाकर **दिनांक 20–05–2025 को सांय 05.00 बजे तक प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय** को उपलब्ध करवा दें। शासनादेश संख्या–130236 दिनांक 15 जून, 2023 के अनुसार स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–3(घ) से संबंधित सक्षम स्तर का अद्यतन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने पर ही स्थानान्तरण में छूट / स्थानान्तरण किये जायेंगे। उक्त कार्मिक के द्वारा स्थानान्तरण अधिनियम / समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों के तहत गम्भीर बीमारी के प्रमाण पत्र के साथ–साथ (With Follw Up Document's) उपलब्ध कराने के बाद ही स्थानान्तरण समिति की संस्तुति पर स्थानान्तरण से छूट / स्थानान्तरण किये जायेगें।

2. वेबसाइट पर प्रदर्शित रिक्तियों में यदि कोई त्रुटि हो / पद रिक्त न हो की स्थिति में संबंधित कार्यालयाध्यक्ष तत्काल निदेशालय को साक्ष्य सहित अनिवार्य रूप से अवगत करायेंगे।

3. प्रधान सहायक पद पर निदेशालय के आदेश दिनांक 26.04.2025 के द्वारा पदोन्नति सूची निर्गत की गयी। जिसमें कार्मिकों को 15 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश के कम में कतिपय कार्मिकों की कार्यभार ग्रहण की सूचना अप्राप्त होने के कारण प्रधान सहायक पद की रिक्ति की सूचना पृथक से निर्गत कर वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी।

4. ऐसे कार्मिक जो अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने के इच्छुक हों, वे निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन पत्र संबंधित संस्थाध्यक्ष, खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) को दिनांक 15–05–2025 को सांय 5.00 बजे अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें। उक्त निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

5. अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण संबंधी समस्त आवेदन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) द्वारा वाहक के माध्यम से दिनांक **20–05–2024** को सांय 05.00 बजे तक अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे।

6. राज्य स्तरीय/मण्डल स्तरीय कार्यालय के कार्मिक संबंधित निदेशालय/बोर्ड/मण्डल कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप पर संकलित कर दिनांक 20.05.2025 तक निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत कार्मिकों के आवेदन पत्र एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा संकलित कर निर्धारित प्रारूप पर निदेशालय को दिनांक 20–05–2025 को सांय 05.00 बजे तक उपलब्ध कराये जायेंगे।

7. अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने वाले कार्मिक अनुरोध की जिस श्रेणी में आवेदन करना चाहते है, वे उसका स्पष्ट उल्लेख करते हुए आवेदित श्रेणी से संबंधित सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण–पत्र संबंधित संस्थाध्यक्ष से प्रमाणित करवाकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे।

8. अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु इच्छुक कार्मिकों के आवेदन–पत्रों पर सक्षम स्तर से संस्तुति सहित अग्रसारित कर विकासखण्ड एवं जनपद स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त ही निदेशालय को प्रेषित किये जायें।

9. बिना उचित माध्यम के सीधे निदेशालय को प्रेषित किये जाने वाले आवेदन–पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी एवं इस संबंध में संबंधित कार्मिक से कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा।

10. आवेदन करने वाले समस्त कार्मिक विभागीय वेबसाइट से रिक्तियों का अवलोकन करने के उपरान्त ही विकल्प–पत्र में रिक्तियों की अंकना करें।

11. प्रत्येक कार्मिक द्वारा विकल्प पत्र में अधिकतम 10 विकल्पों को ही भरा जाना है। स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने वाले समस्त कार्मिकों को अपने आवेदन पत्र के साथ–साथ पोर्टल की अद्यतन प्रमाणित छायाप्रति भी संलग्न की जानी अनिवार्य है।

12. अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र समस्त कार्मिकों की सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी गयी है। स्थानान्तरण शासनादेश संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2, दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुसार स्थानान्तरण की कार्यवाही की जायेगी।

13. **संबंधित संस्थाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष पात्रता सूची का भली भांति परीक्षण कर लें तथा पात्रता सूची में यदि किसी कार्मिक का नाम, पदनाम आदि तथा वर्तमान तैनाती का विवरण त्रुटिपूर्ण अंकित हो तथा कोई कार्मिक यदि सेवानिवृत्त/अन्य कारण से कार्यरत् न हो तो इस संबंध में 03 दिन के भीतर अपनी स्पष्ट आख्या से निदेशालय की मेल आई.डी. elementaryeducation.sewa3@gmail.com पर अवगत कराना सुनिश्चित करें, ताकि संबंधित कार्मिक, पोर्टल पटल सहायक के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही भी तत्काल प्रस्तावित की जा सकें।**

संलग्नः अनिवार्य स्थानान्तरण की पात्रता सूची, आवेदन–पत्र, रिक्त पदों की सूची।

भवदीय

07/05/25

(अजय कुमार नौड़ियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0: सेवायें–3/ 1462-65 **/वार्षि0 स्था0/2025–26, दिनांकः उक्तवत्।**

प्रतिलिपि– 1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

2. संयुक्त निदेशक, लेखा–स्थापना अनुभाग, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3. समस्त प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या राजकीय माध्यमिक विद्यालय उत्तराखण्ड (द्वारा संबंधित ख.शि.अ.)

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड